

आत्म निर्भर भारत निर्माण और नई शिक्षा नीति"

रामस्वरूप भांबी

सहायक आचार्य (लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी)

DECLARATION:: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL..

सार

भारतीयता की महान विरासत से परिपूर्ण, महात्मा गांधी के विजन से अनुप्राणित, डॉ. आम्बेडकर के दिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वर्ज को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। देर आयद पर दुरुस्त आयद मुहावरे को चरितार्थ करती हुई 34 साल बाद आई इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में एक ओर जहाँ शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान खामियों को दूर करने के प्रावधान हैं, तो दूसरी ओर इसमें इककीसवीं सदी के बदलते हुए भारत की आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी दिखाई पड़ती है। पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। तो, क्या है एनईपी की प्रमुख विशेषताएँ? इककीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्ज को साकार करने की दिशा में यह किस प्रकार व कहाँ तक सक्षम है, इसकी पड़ताल इस आलेख में की जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की एक बड़ी विशेषता है कि यह सच्चे मायने में एक राष्ट्रीय नीति है। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों के लोगों से सलाह लिए गए। देश के चारों दिशाओं से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों यहाँ तक कि छात्रों तक के सवा दो लाख सुझावों पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह एनईपी साकार हुई है। इस रूप में भारत और पूरे विश्व में एक लोकतांत्रिक रीति से तैयार हुई यह पहली शिक्षा नीति है।

मुख्य शब्द: नई शिक्षा नीति, आत्म निर्भर भारत

परिचय

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की एक बड़ी विशेषता है कि यह सच्चे मायने में एक राष्ट्रीय नीति है। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की चारों दिशाओं से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों और छात्रों से सुझाव और मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह एनईपी साकार हुई है। इस रूप में यह एक लोकतांत्रिक रीति से तैयार हुई शिक्षा नीति है।

एक अन्य नया परिवर्तन है कि एनईपी 2020 की घोषणा साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है, जो सर्वथा उचित है। 'मानव संसाधन' से ध्वनित होता है कि मानवीय भावों—संस्कारों से रहित इंसान जैसे एक भौतिक संसाधन मात्र हो, जो पश्चिम के भौतिकवादी चिन्तन से प्रेरित है। जबकि 'शिक्षा' अभिधान मनुष्य के भौतिकवादी पहलु के साथ—साथ

सांस्कृतिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों को समाहित करता है, जो भारतीय चिंतन—पद्धति का प्रतिविम्बन है।

भारतीय भाषाओं पर जोर एनईपी की एक बड़ी विशेषता है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में 'भारतीय भाषाओं के अध्यापन' के साथ—साथ 'भारतीय भाषाओं में अध्यापन' पर बल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाँचवीं ग्रेड तक की पढ़ाई होगी, जिसे आठवीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी होगी अब भी, लेकिन अब सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। यूनेस्को रिपोर्ट अथवा शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें सम्प्रेषण व संज्ञान सहज व शीघ्र होता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चा समझता है जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। यह अनायास नहीं कि संसार के हर विकसित देश में स्कूली शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है। यहाँ तक की उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्यतया उनके देश की भाषा होती है। एनईपी का यह बिंदु भारतीय भाषाओं और संस्कृति दोनों ही की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

एनईपी का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है 'सबका साथ, सबका विकास' को साकार करने के लिए 'सबको शिक्षा' देने की महत्वकांकी योजना। इसमें 'राइट टू एजुकेशन' को 14 साल से आगे बढ़ाकर 100: जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर तक 'एजुकेशन फॉर ऑल' का लक्ष्य रखा गया है। सन 2030 तक 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी। यही नहीं हमारे युवाओं की ऊर्जा का उचित उपयोग हो, इसके लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। यही नहीं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए इधर—उधर भटकना न पड़े इसके लिए 2030 तक लगभग हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक वृहत उच्च शिक्षा संस्थान होगा।

सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े—वंचित तबकों के लिए भी एनईपी सजग है। एससी—एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों और गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएँगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनके लिए निशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति के लिए प्रयास किए जाएँगे। निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए एक कैपिंग (बंचचपदह) भी होगी। निजी एचईआई द्वारा निर्धारित सभी शुल्क पारदर्शी होंगे। सार्वजनिक या निजी सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों निर्धारित किए जाएँगे।

वर्तमान के मैकाले मॉडल पर आधारित शिक्षा किताबी ज्ञान व शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर जोर देती है, जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूँढ़ने वाले बेरोजगारों की बड़ी खेप तैयार कर रही है। लेकिन एनईपी पाठ्येतर क्रियाकलापों और वोकेशनल शिक्षा पर भी बल देती है। महात्मा गांधी के श्रम—सिद्धांत के अनुरूप छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसमें 'कोडिंग' जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण भी शामिल होंगे। अच्छी बात यह है कि कॉलेज स्तर पर भी वोकेशनल प्रशिक्षण के विभिन्न कोर्स स उपलब्ध होंगे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्यापन के दौरान मैंने देखा कि उनके करिकुलम में वोकेशनल शिक्षा का घटक जरूर होता है। नए मॉडल में रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

एनईपी की एक अन्य विशेषता है कि शिक्षा में स्ट्रीम की खांचेबंदी नहीं होगी। अब साइंस या कॉर्स का छात्र आर्ट्स और सोशल साइंस के विषय भी पढ़ सकेगा। महत्वपूर्ण है कि यह लचीलापन माध्यमिक स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन में भी होगा। यूरोप—अमेरिका आदि में बहुत पहले से मौजूद यह पैटर्न एक

अंतर्विषयक दृष्टि पैदा करेगी, जो मल्टी-टास्किंग और भावी इंटिग्रेटेड रिसर्च के लिए उपयोगी होगा। मल्टी-एंट्री और मल्टी-एरिजिट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की एक नई विशेषता होगी। अभी तीन वर्षीय ग्रेजुएशन में यदि छात्र को किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़े तो सारा परिश्रम, धन तथा समय बेकार चला जाता है। अब एक साल अथवा दो साल में भी पढ़ाई छोड़ने पर उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरुर मिलेगा। बल्कि एक तय सीमा में वापस आकर वह अपनी बच्ची पढ़ाई पूरा कर सकता है। 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' एनईपी का एक अन्य क्रांतिकारी प्रावधान है। यह एक डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, जिसके द्वारा किसी एक संस्थान या प्रोग्राम में प्राप्त क्रेडिट को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। किन्हीं मज़बूरी में संस्थान या शहर बदलने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत आश्वस्तकारी है।

यह सर्वविदित है कि किसी राष्ट्र की प्रगति में शोध-अनुसंधान की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए मोदी सरकार, अटल सरकार के 'जय विज्ञान' से आगे जाकर 'जय अनुसंधान' को एनईपी में बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध दिखती है। देश में एक मज़बूत शोध-अनुसंधान संस्कृति तथा क्षमता विकसित हो, इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) की स्थापना का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में एकीकृत एवं समन्वित नीति व लक्ष्य निर्धारण हेतु विभिन्न निकायों का विलय करके एक सिंगल रेगुलेटर 'भारत उच्च शिक्षा आयोग' (एचईसीआई) का गठन एनईपी का एक अन्य अहम बिंदु है।

समग्रता में देखें तो लोकल से लेकर ग्लोबल, भारत केंद्रितकता से लेकर वैश्विकता, रोजगार से लेकर अनुसंधान और चरित्र निर्माण से लेकर भौतिक उपलब्धिकृत सभी दृष्टियों से उच्च लक्ष्यों वाली एनईपी 21वीं सदी में भारत की जरूरतों-चुनौतियों को पूरा करने की दिशा में एक दूरदर्शी विजन डॉक्युमेंट है। इसका क्रियान्वयन एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन अगर योग्य लोगों को इसमें शामिल किया जाए तो इसे हासिल करना कठिन नहीं होगा।

नई शिक्षा नीति

वर्तमान युग पहले के किसी भी समय से कहीं अधिक गतिशील है। वैसी तमाम व्यवस्थाएँ जो पहले बहुत स्थाई किस्म की प्रतीत होती थीं, वो आज परिवर्तन की राह पर हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से लेकर राजनीतिक संरचना और अर्थव्यवस्था का रूप, इन सभी के आयाम इतनी तीव्रता से बदल रहे हैं कि अगर इनकी गति से साम्य नहीं बैठाया गया तो पीछे छूटना तय है। ऐसे में आवश्यक है कि हम एक नागरिक और एक राष्ट्र के रूप में इतने तैयार हों कि इन परिवर्तनों को अपने अनुकूल साध सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा उपकरण काम आता है वो है दृष्टि शिक्षा। आज के ज्ञान समाज में इससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक ही है कि हर राज्य इसके माध्यम से स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और इससे संबंधित नीति बनाता है। यह नीति ही यह बताती है कि किसी राज्य की तैयारी क्या है और वो भविष्य में कैसा आकार लेगा।

अब, भारतीय संदर्भ की बात करें तो यह अभी 1986 में निर्मित शिक्षा नीति से ही संचालित होता रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि इन 34 वर्षों में समय ने कई करवटें बदली हैं इसलिए आगे की रणनीति भी इसी अनुरूप होनी चाहिए। इसी क्रम में वर्तमान सरकार ने जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख 'के. कस्तूरीरंगन' की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसने 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का मसौदा प्रस्तुत किया। फिर सरकार ने इस मसौदे पर देशभर से सुझाव आमंत्रित किए और उसके आधार पर 'नई शिक्षा नीति -2020' जारी किया। अब अगर हम इस नीति का मूल्यांकन करें तो मूलतः चार कसौटियों

बनती हैं, जिसके आधार पर हम इसके उचित अनुचित होने के निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। इसमें पहली कसौटी है दृ यह शिक्षा के सर्वसुलभ होने पर कितना जोर देता है; दूसरी कसौटी शिक्षा और समाज की अंतर्रक्रिया है, तीसरी कसौटी में हम नवाचार को प्रोत्साहित करने की आकांक्षा को परख सकते हैं और अंतिम कसौटी यह हो सकती है कि शिक्षा नीति आर्थिक अपेक्षाओं से किस प्रकार का संबंध रखती है। आइये बारी बारी से इन चारों पक्षों पर गौर करते हैं।

सर्वसुलभ शिक्षा और नई शिक्षा नीति

सबको शिक्षा मिले यह न केवल प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है बल्कि यह किसी भी राष्ट्र के उत्थान की बुनियादी शर्त भी है। सिद्धांत के तौर पर देखें तो इसे पूर्व में ही अपनाया जा चुका है जब 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर 2009 में 'निरुशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम' के माध्यम से इसे क्रियान्वित भी कर दिया गया। अब सवाल है कि नई शिक्षा नीति यहाँ से कितनी आगे बढ़ी है और कहाँ तक जाने की इच्छा रखती है?

नई शिक्षा नीति इस अधिकार को और अधिक व्यापक बनाती है। वस्तुतः अभी तक राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निरुशुल्क शिक्षा देने के लिए कठिबद्ध है। वर्तमान नीति के माध्यम से राज्य ने इसे 3 से 18 वर्ष तक विस्तारित करने की बात कही गई है। यह एक प्रभावशाली कदम है। इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (म्ब्ब) की बात करती है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना है। यानी 6 वर्ष की अवस्था में सीधे कक्षा -1 में नामांकन करा देने की बजाय सरकार तीन वर्ष की अवस्था से ही बच्चों को इस तरह तैयार करेगी कि वो मानसिक रूप से इसके प्रति सहज हो जाएँ। इसके लिए आँगनबाड़ी व अन्य समर्थ संस्थानों की मदद ली जाएगी। यह परिवर्तन न केवल शिक्षा को और अधिक आकर्षक बनाएगा बल्कि गरीब व कमज़ोर परिवारों को बेहतर परवरिश का विकल्प भी पहुँचाएगा।

सर्वसुलभ शिक्षा के संदर्भ में इस शिक्षा नीति का दूसरा जोर बेहतर क्रियान्वयन और संसाधनों के अनुकूल उपयोग पर है। इसके तहत कुछ प्राथमिक लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे— 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना, ड्रॉप आउट अनुपात को कम करना खासकर 5वीं और 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, शिक्षक—विद्यार्थी अनुपात को कम से कम 30रु1 पर लाना तथा वंचित क्षेत्र में इस अनुपात को 25रु1 करना। ये सभी ऐसे लक्ष्य हैं जिनसे सबको शिक्षा व्यावहारिक रूप से लागू हो पाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थकार्ड व बेहतर पोषण के लिए मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ते के भी प्रबंध की बात की गई है। संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए 'क्लस्टर आधारित उपयोग' को इसमें बढ़ावा दिया गया है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले स्कूल पुस्तकालय, प्रयोगशाला व खेल के मैदान आदि आपस में साझा करें। इससे न केवल सामूहिकता बढ़ेगी बल्कि इन संसाधनों का बेहतर क्रियान्वयन भी संभव हो पाएगा। अतरु हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा नीति सर्वसुलभ शिक्षा पर काफी गंभीरता से विचार करती है।

नई शिक्षा नीति और समाज

एक बेहतर और उपयोगी शिक्षा को परखने का एक निर्धारक यह भी कि वो अपने समाज से कितनी जुड़ी है। समाज से कटी हुई शिक्षा कुछ और हो सकती है समावेशी और उपयोगी नहीं हो सकती। इस

संदर्भ में नई शिक्षा नीति काफी सचेत और संतुलित नज़र आती है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति पर जोर देती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यह नीति 5वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से और इसे 8वीं तक विस्तारित करने की अपेक्षा करती है। मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि इससे न केवल बच्चे अधिक तेजी से और बेहतर ढंग से सीख पाएंगे बल्कि वो अपने समाज और संस्कृति से निकट साम्य स्थापित कर पाएंगे।

भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं होती बल्कि वो सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता का वाहक भी होती है। अतरु यह प्रयास निश्चित ही शिक्षा को समाज से जोड़े रखेगा। इसके अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए इसमें 'त्रिभाषा फॉर्मूला' को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि हम देश के भीतर के अनेक समाजों को समझ सकें। साथ ही नई शिक्षा नीति समाज को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी आंमत्रित करती है तथा हर वयस्क साक्षर से यह अपेक्षा करती है कि वो इसमें दिलचस्पी दिखाए। पाठ्यक्रम के स्तर पर भी केंद्रीय जरूरतों के साथ 'स्थानीय संदर्भ' पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक जगहों पर समाज से जुड़ने की बात की गई है। इस लिहाज से देखें तो यह नीति समाजोन्मुख प्रतीत होती है।

नई शिक्षा नीति में नवाचार के प्रति आग्रह

आमतौर पर नवाचार को किसी ऐसे चमत्कार की तरह देखा जाता जो अनायास ही अस्तित्व में आ गया हो, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। नवाचार एक प्रवृत्ति है जो अपने परिवेश को ठीक से समझने पर और फिर उसे एक नई दिशा देने की कोशिश से विकसित होती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जितनी अधिक परिवेश सापेक्ष, खुली और लचीली होगी वो नवाचार को उतना ही अधिक प्रोत्साहित करेगी। एक निश्चित पाठ्यक्रम को तैयार कर अधिक अंक लाने की प्रविधि में नवाचार का विकास बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें सीखने पर कम और रटने पर अधिक बल दिया जाता है।

इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति एक व्यापक रणनीति को संबोधित करती है जो स्कूली शिक्षा से ही सीखने पर अधिक बल देती है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा पर न्यूनतम आश्रित हुआ जाए और पाठ्यक्रम को भी इतना लचीला बनाया जाए कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप आगे बढ़ें। इसके लिए शिक्षण की व्यावहारिक पद्धतियों को अधिक से अधिक अपनाने की बात की गई है ताकि शिक्षा और परिवेश का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो।

स्कूली शिक्षा के अलावा अगर उच्च शिक्षण संस्थानों को देखें तो उनसे अनुसंधान और नवाचार की अधिक अपेक्षाएँ होती हैं। वस्तुतः भारत को पोषणयुक्त भोजन व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व पर्यावरण जैसे व्यापक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है। यह तभी हो पाएगा जब हमारे शिक्षण संस्थान समाधानमूलक नवाचार की ओर बढ़ें। आज जहाँ इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश अनुसंधान व नवाचार पर जीडीपी का 4 प्रतिशत से अधिक खर्च कर रहे हैं वहीं भारत सिर्फ 0.69 प्रतिशत ही खर्च कर रहा है। नई शिक्षा नीति इसमें बढ़ोतरी की बात करता है। साथ ही उच्चतर शिक्षण संस्थानों को कला, समाज एवं विज्ञान के समुच्चय के रूप में विकसित करने की वकालत करता है ताकि समझ अधिक समावेशी हो और नए आचार-विचारों की ओर आग्रह बढ़े। इस संदर्भ में शिक्षण संस्थानों को और स्वायत्तता देने की बात की गई है।

आर्थिक अपेक्षाएं और नई शिक्षा नीति

भारत एक जनांकिकीय लाभांश वाला देश है। यानी इसके पास सबसे बड़ा युवा श्रम बल है जो देश को तेजी से आगे ले जा सकने की क्षमता रखता है। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब ये युवा बेहतर कौशल से लैस हों तथा गतिशील आर्थिक गतिविधियों के प्रति सहज हों। इसलिए शिक्षा का एक रूप यह भी है कि वो अपने नागरिकों को कितना हुनरमंद बनाती है।

इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति कहीं अधिक मुखर है तथा इस रूढ़ि को तोड़ने का आग्रह करती है जहाँ 'व्यावसायिक शिक्षा' को मुख्य धारा की शिक्षा से कमतर माना जाता है। ऑकड़ों के हिसाब से देखें तो 19 से 24 वर्ष के आयुर्वर्ग वाले भारतीय कार्यबल में से मात्र 5 प्रतिशत लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा हासिल की है जबकि अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में यह दर क्रमशः 52,75 तथा 96 प्रतिशत है। अतरु आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सहजता स्थापित की जाए। यह दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि व्यावसायिक शिक्षा को इस तरह अपनाया जाए कि यह क्रमशः मुख्य धारा की शिक्षा से मिल जाए। इसके लिए स्कूली स्तर से ही शुरुआत हो तथा प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सिखाया जाए, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में क्रमशः अधिक घनीभूत होता जाए। इसमें 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने की इच्छा जताता है। सार रूप में कहें तो नई शिक्षा नीति व्यावहारिक शिक्षा और आर्थिक उपयोग की शिक्षा से मुंह नहीं चुराती।

कुल मिलाकर यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं को व्यापक रूप से संबोधित करती है। इसमें एक बेहतर भविष्य का सपना है और उसे पूरा करने के लिए जीड़ीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की मंशा भी है। अब, इस नए भारत के दस्तावेज़ को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भर भारत:

- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (मस-त्मसपंदबम) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता (Self&Reliance), आत्म-केंद्रित (Self&Centered) से अलग है।
- भारत श्वसुधैव कुटुंबकम्श की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतरु भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

मिशन के चरण:

मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा:

प्रथम चरण:

इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्टॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

- द्वितीय चरण:

इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभः

- आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तंभों पर खड़ा होगा;
- अर्थव्यवस्था (Economy):

जो वृद्धिशील परिवर्तन (Incremental Change) के स्थान पर बड़ी उछाल (फनंदजनज शनउच) पर आधारित हो;

अवसंरचना (Infrastructure):

- ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने;

प्रौद्योगिकी (Technolog):

21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली;

- गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography):

जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है;

- मांग (Demand):

भारत की मांग और आपूर्ति शृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

आत्मनिर्भर भारत के लिये आर्थिक प्रोत्साहनः

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज ब्टप्प-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई

पूर्व घोषणाओं तथा त्तप्प द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की 'सकल घरेलू उत्पाद' (छतवे कवउमेजपब चतवकनबज- छक्च) के लगभग 10: के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land] Labour] Liquidity and Laws& 4Is) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारतीय शिक्षा प्रणाली को और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विशाल नीति को समाप्त करना एक प्रमुख कार्य है। 34 वर्षों की शिक्षा प्रणाली के बाद एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, उद्योग और विद्वान् समुदाय के बीच एक छेद देखा जा सकता था और इस छेद के परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली और शिक्षित छात्रों का निर्माण हुआ जो उद्योग में अपनी जगह की खोज नहीं करेंगे या कॉर्पोरेट परिणाम बेरोजगारी की स्थिति में या फिर जब भी उपयोग किए जाते हैं तो वे कम हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में एक व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उदास और तुलनात्मक विभिन्न चीजों की ओर ले जाता है। नई शिक्षा नीति अभी तक एक प्रस्ताव हो सकता है कि कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है जो कि नीति के परिणामों को उपयोगी में देखने के लिए या बाद में लागू करने से पहले या बाद में संभव होना चाहिए। अधिकांश भाग के लिए एनईपी 2020 में प्रस्तावित सभी अनुशंसाओं में भविष्य में प्रत्येक भागीदार को उपलब्धि प्रदान करने की क्षमता है।

संदर्भ

- 1^ए ऐथल, पी. एस.; ऐथल, शुभ्रज्योत्सना (2019)। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 में उच्च शिक्षा का विश्लेषण और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियां। एप्लाइड इंजीनियरिंग और प्रबंधन पत्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 3 (2)रु 1–35। एसएसआरएन ३४९७५९७
- 2^ए नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स रु बड़े बदलाव देखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षाएँ। हिंदुस्तान टाइम्स।
- 3^ए जेवराज, प्रिसिला (२ अगस्त २०२०)। घ्य हिंदू एक्सप्लेन्स द्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?। हिन्दू। आईएसएसएन 0971–7512
- 4^ए चोपड़ा, रितिका (२ अगस्त २०२०)। घ्यमझायारू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़नाएँ। इंडियन एक्सप्रेस।
- 5^ए रोहतगी, अनुभा, एड। (७ अगस्त २०२०)। घ्याइलाइट्स द्य एनईपी भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच की खाई को कम करने में भूमिका निभाएगारू पीएम मोदी। हिंदुस्तान टाइम्स।
- 6^ए कृष्णा, अतुल (२६ जुलाई २०२०)। घ्यनईपी 2020 हाइलाइट्स रु स्कूल और उच्च शिक्षाएँ। एनडीटीवी।
- 7^ए ख, नायदू, एम. वेंकैया (८ अगस्त २०२०)। नई शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग।
- 8^ए तर्कसंग्रह रु बेनर्जी, गीता, चौखम्बा संस्कृत साहित्य, वाराणसी।
- 9^ए विष्णु धर्मसूत्र इंजी। द्वारा, जॉली, एल., सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, टप, दिल्ली, 1965।
- 10^ए याज्ञवल्क्य—स्मृतिरू मिताक्षरा कमेंट्री के साथ, मकइल, पनिशिकर, वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, चौखंबा संस्कृत शृंखला कार्यालय, वाराणसी, २००३